

163  
इ प्रेषण  
JUL 2012  
अत्यावश्यक  
Put up  
cc.

राजस्थान सरकार  
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग  
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक : प. 21(19)प्राशि/आयो./2009  
निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर।

जयपुर, दिनांक 25-06-2012

विषय : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु के संदर्भ में।

संदर्भ : निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के पत्रांक :  
FNo. 1-8/2012 E.E.4 दिनांक 04.06.2012

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि सत्र 2012-13 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) के प्रावधानानुसार निजी शिक्षण संस्थाओं की कक्षा 1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कुछ निजी शिक्षण संस्थाएं अधिनियम के प्रावधानानुसार 25 प्रतिशत सीट्स एवं शेष 75 प्रतिशत सीट्स पर प्रवेश के लिए आयु की पात्रता के सम्बन्ध में अलग-अलग मापदण्ड अपना रही है। इस प्रकरण का राज्य के स्तर पर परीक्षण किया जाकर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रेषित किया गया। इस बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा निम्नानुसार स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है : -

*With regard to the specific issue relating to admission in unaided private schools, State Government may issue an advisory to the private schools to ensure that there is no disparity in the age for admission at the entry level between 25% children who have to be admitted in pursuance of section 12(1)(c) of the RTE Act the 75% other children admitted in that class. Schools need to follow a uniform entry age policy for all children without resorting to any discriminatory practices in terms of age admission.*


अतः निर्देश दिए जाते हैं कि सभी जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी निजी संस्थाओं को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उपरोक्त स्पष्टीकरण से अवगत कराकर तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि किसी विद्यालय में सत्र 2012-13 की प्रवेश प्रक्रिया में 25 प्रतिशत सीट्स पर प्रवेश एवं शेष 75 प्रतिशत सीट्स पर प्रवेश आयु के आधार पर किसी प्रकार का कोई विभेद किया है तो उसे तत्काल सही करे तथा इस आधार पर आयु पात्र बालकों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल करते हुए प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न करें।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

  
प्रमुख शासन सचिव  
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली को संदर्भित पत्र के क्रम में।
2. निजी सचिव, माननीय शिक्षामंत्री महोदय / माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग।
4. निजी सचिव, राजस्थान राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग, जनपथ, गांधी नगर, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग, जनपथ, गांधी नगर, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक (संस्थापन) शिक्षा विभाग।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग।
9. कार्यालय प्रति।

  
शासन उप सचिव  
प्रारम्भिक शिक्षा(आयोजना)